रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277350
CG-DL-E-22102026-277350

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5533] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948
No. 5533] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

UNCONTROLLED COPY
Simplifying compliance

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2026

सं. 45 /2026-27

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022- के अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्सिम कोड 170114 के अंतर्गत वर्गीकृत कच्ची चीनी की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 5750(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या 31/2025-26 दिनांक 20.08.2026 के क्रम में, केंद्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी एचएस, 2022, अनुसूची -1 (आयात नीति) के एक्जिम कोड 170114 के अंतर्गत शामिल 'कच्ची चीनी' की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्सिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
170114	कच्ची चीनी	मुक्त	10 लाख मीट्रिक टन (शुल्क-मुक्त) के प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अधीन दिनांक 31.10.2026 तक आयात "मुक्त" है, जो नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन है।	10 लाख मीट्रिक टन (शुल्क-मुक्त) के प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अधीन दिनांक 31.12.2026 तक आयात "मुक्त"है, जो नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन है।

2. टीआरक्यू के तहत कच्ची चीनी के आयात के लिए मौजूदा आयात नीतिगत शर्त में विनिर्दिष्ट समयसीमा को एतदद्वारा दिनांक 31.12.2026 तक बढ़ा दिया गया है। अधिसूचना सं. 31/2025-26 दिनांक 20.08.2026 में विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभाव: टीआरक्यू के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा को दिनांक 31.10.2026 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2026 कर दिया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एएम-26/पीसी-2(ए)/[ई-47338]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

No. 45 /2026-27

Subject: Amendment in import policy of raw sugar classified under Exim Code 170114 of Chapter 17 of Schedule–1 (Import Policy) of ITC (HS), 2022- reg.

S.O. 5750(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation of Notification No. 31/2025-26 dated 20.08.2026, the Central Government hereby amends the import policy condition of 'Raw Sugar' covered under Exim 170114 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
170114	Raw Sugar	Free	Import is "Free" subject to a Tariff Rate Quota (TRQ) of 10 lakh MT (duty-free) up to **31.10.2026**, subject to the conditions specified below.	Import is "Free" subject to a Tariff Rate Quota (TRQ) of 10 lakh MT (duty-free) up to **31.12.2026**, subject to the conditions specified below.

2. The timeline specified in the existing import policy condition for import of raw sugar under the TRQ is hereby extended up to **31.12.2026**. All other conditions specified in the Notification No. 31/2025-26 dated 20.08.2026 shall remain unchanged.

Effect of the Notification: The timeline for duty-free import of 10 lakh MT of raw sugar under the TRQ is extended from **31.10.2026** to **31.12.2026**.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/[E-47338]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

UNCOMPLICATED Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.